भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3665
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

3665. डॉ.किरसन नामदेव:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जैविक खेती/प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि ऐसे उत्पादों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्राकृतिक खेती के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्राकृतिक खेती में लगे किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों के लिए विपणन की सुविधा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(च) उक्त नीति को लागू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यह किस प्रकार किसानों के लिए फायदेमंद होगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): जी, हां। सरकार, वर्ष 2015-16 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों ही योजनाएं, जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), प्रमाणन और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित हैं। पी.के.वी.वाई. और एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान फंड्स का राज्य-वार आवंटन और उपयोग **अनुबंध-I और** II पर दिया गया है।

(ग) से (च): वर्ष 2019-20 से भारत सरकार, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बी.पी.के.पी.) के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है जिसे अब राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) के रूप में विस्तारित किया गया है और हाल ही में दिनांक 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल (यूनियन कैबिनेट) द्वारा अनुमोदित किया गया है। एन.एम.एन.एफ., 2481 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य देश भर में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है।

इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के पैकेज पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे जैसे कि फसल विविधता बढ़ाना, इनपुट तैयार करना आदि और प्राकृतिक इनपुट तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की योजना बनाई गई है। इस प्रकार बाहरी बाजारों से खरीदे गए इनपुट और खेती की इनपुट लागत में कमी आएगी, किसानों के परिवार और उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, रासायनिक इनपुट के संपर्क में कमी आएगी, भूमि की उर्वरता में सुधार होगा, मिट्टी की जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी, ऑन-फार्म जैव विविधता बढ़ेगी और इस प्रकार जलवायु अनुकूलन विकसित होगा। यह मिशन, बाजार तक पहुंच के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए आसान प्रमाणन प्रणाली (सर्टिफिकेशन सिस्टम) और कॉमन ब्रांड भी प्रदान करेगा।

****

अनुबंध-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान पी.के.वी.वाई. योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए फंड का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22			2022-23			2023-24		
		आवंटन	जारी (**)	व्यय (*)	आवंटन	जारी	व्यय(*)	आवंटन	जारी	व्यय (*)
1	आंध्र प्रदेश	1573.21	0.00	0.00	826.35	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00
2	बिहार	991.81	0.00	0.00	2830.65	1547.68	1547.68	2509.80	402.00	261.46
3	छतीसगढ़	1324.74	0.00	0.00	3504.93	0.00	0.00	3175.00	1892.50	1892.50
4	गुजरात	20.81	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	750.00	196.00	20.80
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	1025.10	0.00	0.00	382.50	250.00	241.00
6	हरियाणा	10.40	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
7	झारखंड	270.50	0.00	0.00	1397.27	0.00	0.00	1772.00	163.00	163.00
8	कर्नाटक	20.81	0.00	0.00	1045.61	512.55	512.55	2803.00	2803.00	828.00
9	केरल	1209.68	0.00	0.00	1712.07	1712.07	1712.07	1047.00	71.00	71.00
10	मध्य प्रदेश	1332.63	0.00	0.00	5756.54	0.00	0.00	4810.00	33.00	0.00
11	महाराष्ट्र	41.62	0.00	0.00	745.90	449.67	449.67	3361.00	1681.00	1681.00
12	ओडिशा	618.12	0.00	0.00	741.44	370.72	370.72	1000.00	791.00	783.75
13	पंजाब	241.94	221.13	221.13	222.46	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
14	राजस्थान	4100.09	4048.07	4048.07	2452.64	1783.26	1783.26	3133.00	800.00	700.00
15	तमिलनाडु	63.65	0.00	0.00	704.87	0.00	0.00	1564.00	1564.00	1564.00
16	तेलंगाना	31.21	0.00	0.00	30.75	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	2181.23	865.56	865.56	13400.57	5089.32	5089.32	6607.00	5881.00	5881.00
18	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	555.39	555.39	555.39	2001.00	1717.00	1717.00
19	हिमाचल प्रदेश	401.17	0.00	0.00	1121.36	0.00	0.00	497.00	124.00	124.00
20	उत्तराखंड	2984.87	2953.66	2953.66	6030.68	5969.00	5969.00	3065.00	767.00	767.00
21	सभी पूर्वोत्तर राज्य	205.63	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	सभी संघ राज्य क्षेत्र	952.68	0.00	0.00	893.02	193.55	193.55	1863.02	380.20	380.20
	कुल	**18576.81**	**8184.81**	**8088.42**	**45028.35**	**18183.20**	**18183.20**	**43298.32**	**20485.70**	**18045.71**

(*) जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है।

(**) एस.एन.ए. के अनुसार फंड जारी करने की नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन और कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021-22 में कम फंड जारी किया गया।

अनुबंध- II

पिछले 3 वर्षों के दौरान एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए फंड का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24		
		आवंटन	जारी	व्यय (*)	आवंटन	जारी	व्यय (*)	आवंटन	जारी	व्यय (*)
1	असम	25,87.98	0.00	0.00	2,681.80	2,059.15	2,059.15	3,717.98	3,684.91	2,426.26
2	मणिपुर	6,238.76	4,911.50	4,911.50	2,915.37	2,915.36	2,915.36	2,805.38	2,805.38	2,056.87
3	मेघालय	836.65	92.88	92.88	2,011.88	621.57	621.57	2,465.40	2,465.40	1,742.79
4	नागालैंड	2,781.18	2,114.20	2,114.20	1,961.01	1,390.60	1,390.60	2,346.10	2,346.10	1,173.05
5	मिजोरम	1,858.80	1,291.74	1,291.74	1,604.25	1,140.90	1,140.90	2,336.16	2,336.16	1,523.30
6	अरुणाचल प्रदेश	2,938.02	2,776.10	2,776.10	1,860.77	1,642.17	1,642.17	2,574.75	2,574.75	1,428.22
7	सिक्किम	2,406.84	795.69	795.69	4,005.10	1,538.83	1,538.83	3,260.69	3,260.69	3,260.69
8	त्रिपुरा	3,042.70	1,178.27	1,178.27	2,759.82	3,000.26	3,000.26	3,370.04	3,370.04	2,126.96
	कुल	**22,690.93**	**13,160.39**	**13,160.39**	**19,800.00**	**14,308.84**	**14,308.84**	**22,876.50**	**22,843.43**	**15,738.14**

(*) राज्य द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलिटी सर्टिफिकेट) के अनुसार।

*****